



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259897
CG-DL-E-03012025-259897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौष 13, 1946

No. 46]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 48(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'रबीन्द्र सेतु के आयुक्त, कोलकाता' (पैन AABTT2734P), हावड़ा सेतु (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XII) के अन्तर्गत गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- नगर पालिकाओं/नगर निगमों तथा रेलवे के करों से प्राप्त आय,
- विविध आय जैसे किराया तथा रख-रखाव शुल्क, ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने के लिए आय, मार्ग अनुमति किराया, वसूली योग्य क्षति लागत; तथा
- बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि "रबीन्द्र सेतु के आयुक्त, कोलकाता":-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2018-2019 से 2022-2023 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2019-2020 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 4 /2025 फा.सं. 196/1/2023-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'The Commissioners for the Rabindra Setu, Kolkata' (PAN AABTT2734P), a body established under the Howrah Bridge (Amendment) Act, 1965 (West Bengal Act XII of 1965), in respect of the following specified income arising to that body, namely:

- Proceeds from Taxes of Municipalities / Municipal Corporation and Railways;
- Miscellaneous income like Rental and Maintenance charge, income for laying optical fibre cable, way leave rent, Damage cost recoverable; and
- Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'The Commissioners for the Rabindra Setu, Kolkata':-

- shall not engage in any commercial activity;
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020 to 2023-2024 relevant for the financial years 2018-2019 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 4 /2025 F. No. 196/1/2023-ITA-1]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.